

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

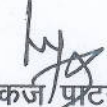
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-139/404) अलेसे-1/706

दिनांक:- 06/10/2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/17816-65 दिनांक 20.11.2013 द्वारा कम संख्या 13 पर अंकित श्री हरिराम पेसवानी (लिंग नं. 8692) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2014 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के उपरान्त श्री पेसवानी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 में दो विभागीय जांच प्रारम्भ की गई थी, जो कि विभागीय आदेश क्रमांक 1711-1715 दिनांक 08.09.2016 एवं 1716-1720 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अतः जांच समाप्त होने के परिणामस्वरूप वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि अब श्री हरिराम पेसवानी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(पंकज प्रट्टनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-139/404) अलेसे-1/706

दिनांक:- 06/10/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
3. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर।
4. कोषाधिकारी, अजमेर।
5. श्री हरिराम पेसवानी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, 45/22, सोनी मोहल्ला, नवाब का बेड़ा, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक(विधि) को उनके यु.ओ. नोट 898,901 दिनांक 22.09.2016 के क्रम में।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी), कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
9. गार्ड फाईल।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)